

तारीख हुकम  
18.2.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "ग्राम कुस्तला के खसरा नम्बर 6151/686 की 90ए की सम्पूर्ण कार्यवाही एवं पत्रावली को लेकर कुल 2 बिन्दुओं की प्रमाणित प्रति" सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: निविन्या/सू.का.अ/2025/303 दिनांक 3.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2025 में चाही गयी सूचना का संबंध तृतीय पक्ष की मानते हुए उसकी सहमति के बिना सूचना दिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण अपीलान्त को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी जिसके संबंध में अपीलान्त को जरिये पत्रांक 28 दिनांक 2.1.2026 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 6.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2, की सूचना तृतीय पक्ष की मानते हुए अपीलान्त को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। किन्तु न्यायहित में अपीलान्त को उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना का अवलोकन करवाया जाना उचित समझते हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना से संबंधित दस्तावेजों का अपीलान्त को अवलोकन करवाया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

( काना राम )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर